

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आलीसर)

मु.न. 59/2016

- 1 लक्ष्मणराम पुत्र बंशीधर, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागडों का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- 2 मैसर्स विष्णु फुड्स इन्जिनियरिंग जरिये प्रोपराईटर लक्ष्मणराम पुत्र बंशीधर, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागडों का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र बंशीधर
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बंशीधर
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बागडों का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. नन्ही देवी पत्नि सुरजमल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. बरजी पत्नि गुलाबचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम बागाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. कोयली पत्नि श्यामलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बागाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उप तहसीलदार महोदय, उपतहसील गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, उप तहसील गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 04.06.2018

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत आलीसर में पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 01.06.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावों को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।

अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- यह की विवादित भूमि के हाल खाता संख्या 80 के आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 378/531 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.84 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 का कुल रकबा 1.80 हैक्ट., भूमि वाके ग्राम बागाकाबास, पटवार हल्का आलीसर, भू 0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हस्तेडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है

उप खण्ड अधिकारी


चौमूं जिला-जयपुर

जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. श्रवण कुमार लक्ष्मणराम राजेन्द्रकुमार पि0 बंशीधर जाति बागडा ब्राह्मण सा. बागडो का बास हि0 1/2 मैसर्स विष्णु फुड्स इन्जिनियरिंग हि0 1/2 खातेदार को ख.न. 416/1 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.48 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. कोयली पत्नि श्यामलाल हि0 15/58 जाति मीणा सा. देह राहिन एस.बी.बी.जे शाखा गोविन्दगढ नन्हीदेवी पत्नि सुरजमल हि0 14/29 जाति ब्राह्मण सा. देह राहिन केनरा बैंक शाखा चौमूं बरजी पत्नि गुलाबचन्द हि0 15/58 जाति अहीर सा. देह ख.न. 375 रकबा 0.83 हैक्ट., ख.न. 377 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 378/531 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.न. 416/2 रकबा 0.78 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 1.74 हैक्ट., जिसका कुल लगान 13.53 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत आलीसर पर सुनाया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


प्रियव्रत सिंह चरण
उपखण्ड अधिकारी चौमू जयपुर
चौमू जिला-जयपुर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आलीसर)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमूं व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

- 1 लक्ष्मणराम पुत्र बंशीधर, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागडों का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- 2 मैसर्स विष्णु फुड्स इन्जिनियरिंग जरिये प्रोपराईटर लक्ष्मणराम पुत्र बंशीधर, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागडों का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र बंशीधर
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बंशीधर
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बागडों का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. नन्ही देवी पत्नि सुरजमल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. बरजी पत्नि गुलाबचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम बागाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. कोयली पत्नि श्यामलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बागाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उप तहसीलदार महोदय, उपतहसील गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, उप तहसील गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा


मुकदमा नं० 59/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रुबरु प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. श्रवण कुमार लक्ष्मणराम राजेन्द्रकुमार पि० बंशीधर जाति बागडा ब्राह्मण सा. बागडों का बास हि० 1/2 मैसर्स विष्णु फुड्स इन्जिनियरिंग हि० 1/2 खातेदार को ख.न. 416/1 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.48 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. कोयली पत्नि श्यामलाल हि० 15/58 जाति मीणा सा. देह राहिन एस.बी.बी.जे शाखा गोविन्दगढ नन्हीदेवी पत्नि सुरजमल हि० 14/29 जाति ब्राह्मण सा. देह राहिन केनरा बैंक शाखा चौमूं बरजी पत्नि गुलाबचन्द हि० 15/58 जाति अहीर सा. देह ख.न. 375 रकबा 0.83 हैक्ट., ख.न. 377 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 378/531 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.न. 416/2 रकबा 0.78 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 1.74 हैक्ट., जिसका कुल लगान 13.53 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.06.2018 को जारी

किया गया।


उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

मोहर

दस्तखत
उप खण्ड अधिकारी

मुदाई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	1	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	5		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौबू जिला-जयपुर